एक नजर

घायल ने दम तोड़ा

इंदौर। छोटी ग्वालटोली इलाके में टक्कर के बाद बाइक से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छोटी ग्वालटोली यशवंत टावर केसामने बाइक एमपी 09 एनजेड़ 1485 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए राकेश को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। घायल राकेश सिंह को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

खिड़की से घुसा चोर टीवी ले भागा

इंदौर। एक युवक घर की खिड़की खोलकर सो रहा था तभी चोर अंदर घुस गया और एलईडी उठाकर ले जाने लगा। आहट होने पर जब नींद खुली और उसे रोकने के लिए आवाज लगाई तो चोर तेजी से भाग निकला। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। परदेशीपुरा पुलिस ने बताया कि पिंटू पिता शेखर चिंतामन निवासी परदेशीपुरा के घर की खुली खिड़की देखकर चोर अंदर घुस गया और एलईडी टीवी ले जाने लगा। जब पिंटू ने आरोपी को टीवी ले जाते हुए देखा तो शोर मचाकर उसका पीछा किया। उजाले में देखा तो टीवी लेकर भागने वाला कुलकर्णी का भट्टा रहने वाला विक्की काला था जिसे फरियादी पहले से ही जानता है। आरोपी को पकड़ने के लिए काफी दूर तक दौड़ लगाई लेकिन वह भाग निकला। इसी तरह टावर चौराहा पर नेहा आर्य निवासी पंचशील नगर का पर्स अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। पर्स में नकदी और मोबाइल रखा हुआ था।

बाइक सवार मोबाइल छीनकर भाग निकले

इंदौर। साउथ तुकोगंज इलाके में एक युवती का मोबाइल छीनकर बाइक सवार दो बदमाश भाग निकले, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक गोविन्दम अपार्टमेंट लालाराम नगर में रहने वाली अंकिता की शिकायत पर पुलिस ने बाइक सवार दो बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया। युवती ने बताया कि जब वह कंचनबाग साउथ तुकोगंज स्थित कादम्बिनी शोरूम के पास थी तभी आरोपी ने मोबाइल उठा लिया। जब मोबाइल युवती ने पकड़ा तो आरोपी उसके हाथ से मोबाइल झपटकर भाग निकले।

मछली से भरी लोडिंग गाड़ी में लगाई आग

इंदौर। बदमाशों ने एक लोडिंग वाहन को आग के हवाले कर दिया। गाड़ी में चार क्विंटल मछली सहित हजारों का सामान रखा हुआ था। जो खाक हो गया। पुलिस वाहन में आग लगने वाले बदमाश की तलाश कर रही है। संभवतः आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने गाड़ी में आग लगाई है। सदर बाजार पुलिस ने जति कॉलोनी मे रहने वाले गोलू पिता मोहनलाल गौड़ की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया। गोलू गौड़ ने बताया कि घर के बाहर उसकी टाटा एस एमपी 14 एलबी 0305 खड़ी थी जिसमें आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। लोडिंग में मछली के 10 बक्से रखे थे जिसमें करीब चार क्विंटल मछली थी। इसके अलावा गाड़ी में तौल कांटे, बर्तन, एल्युमिनियम की प्लेट, दो एक्स्ट्रा टायर स्पेपनी, गल्ला आग की भेंट चढ़ गया।

चाकू मारकर किया घायल

इंदौर। देवासनाका स्थित पेट्रोल पम्प पर विवाद के चलते आरोपी ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया।

सभी स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक और बस सुपरवाइजरों की बैठक

स्कूली बसों को पांच दिन में दुरुस्त कराएं - डीआईजी

इंदौर, 11 जनवरी। डीपीएस सड़क हादसे के बाद पुलिस ने स्कूली बसों के खिलाफ अभियान छेड़ा था जिसके चलते हजारों बच्चों के साथ-साथ पालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों का भविष्य और जनता की परेशानी को ध्यान में रखते डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने स्कूली बसों को दुरुस्त कराने का समय पांच दिन का दिया है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पांच दिन में सभी स्कूलों को शपथ पत्र के साथ यह बताना होगा कि अब उनकी बस पूरी तरह से दुरुस्त है।

बच्चों और पालकों को मिली बड़ी राहत

डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि गुरुवार की शाम को शहर के सभी सीबीएससी और एमपी बोर्ड के स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक और बस सुपरवाइजरों को बुलाया गया था। सभी प्रिंसिपलों से चर्चा कर डीआईजी ने उनकी समस्याओं को समझा और स्कूली बसों को दुरुस्त करने के लिए पांच दिन का समय दिया है। इस दौरान विशेष अभियान नहीं चलेगा, बल्कि सामान्य कार्रवाई जारी रहेगी। डीआईजी ने कहा कि स्कूली बसों में जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर लगा लें। जिन बसों में स्पीड गवर्नर खराब हो चुके हैं उन्हें भी सुधरवा लें।

बस ड्रायवर को फायर उपकरण चलाना आना चाहिए

दुर्घटना से रोकने के लिए बस ड्रायवर को फायर उपकरण चलाना आना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें मेडिकल बाक्स की जानकारी होना जरूरी है। हर छह माह में उनका मेडिकल कराया जाएगा। बस ड्रायवर को वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है।

गति बढ़ाने पर नहीं हुए राजी

बैठक के दौरान स्कूल प्रिंसिपलों ने तर्क दिया कि 40 प्रति किमी की रफ्तार बहुत कम है। इसमें बच्चों को लाने-ले जाने में ज्यादा समय लगेगा। बस की गति 50 किमी प्रतिघंटा किया जाना चाहिए। इस पर डीआईजी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके हिसाब से ही बसें चलाई जाएं। इसके लिए समय लगता है तो दो-तीन राउंड लगवाएं।

बसों में कैमरा भी जरूरी

सुरक्षा के लिहाज से स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरा जरूरी है। अगर कैमरे ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उन्हें दुरुस्त करवा लें। पांच दिन बाद बस में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। कैमरे के अलावा स्कूल बसों में सेफ्टीडोर होना भी जरूरी है।

समय बढ़ाने की मांग की

शहर के सभी स्कूल बसों को स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम से व्यवस्थित करने में पांच दिन का समय काफी नहीं है। इसके लिए डीआईजी से 10 दिन की मोहलत मांगी गई , लेकिन उन्होंने पांच दिन में ही बसों को अपडेट करने के लिए दिए हैं।

इन निर्देशों का पालन भी जरूरी

स्कूली बस बाहर से पीले रंग पेंट से पुती होना चाहिए। बस के दाएं और बाएं स्कूल का नाम लिखना चाहिए जो स्पष्ट नजर आए। इसके साथ ही बस के आगे-पीछे स्कूल बस लिखना अनिवार्य है। साथ ही ऑनड्यूटी स्कूल लिखा होना चाहिए। बस के अंदर डिस्प्ले में बस चालक की जानकारी, स्कूल का टेलीफोन नंबर और बस मालिक का नंबर तथा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेल्प लाइन नंबर लिखना जरूरी है। बस की खिड़की पर ग्रिल लगना जरूरी है जिससे बच्चे सिर बाहर ना निकाल सके। ड्राइवर साइड भी इमरजेंसी गेट होना चाहिए। बस के अंदर सीटों का मटेरियल ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। इंडीकेटर और लाइट भी दुरुस्त होना चाहिए।

आपराधिक रिकार्ड वाले चालक की नियुक्ति नहीं

चालक के विरुद्ध यदि आपराधिक मामला पंजीबद्ध है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाए। चालक की शर्ट पर नेमप्लेट होना जरूरी है। बस में बैठने वाले छात्रों की संख्या परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार हो। बस चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करे।

नहीं चलेगा अभियान, सामान्य कार्रवाई जारी

स्पीड गवर्नर लगाने वाले नहीं दे रहे शपथ पत्र, जेल जाने का डर

स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर होना जरूरी है, लेकिन इसे बेचने वाले शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। यह भी स्कूल संचालकों के लिए परेशानी का सबब बना है। कोई भी ड्रायवर या मैकेनिक इसे आसानी से खोल सकता है जिससे गति पर नियंत्रण नहीं रह सकता। उपकरण लगाने वाले शपथ पत्र देकर यह कहे कि स्पीड गवर्नर को खोला नहीं जा सकता, उनका तर्क है की कोई भी ड्रायवर इसे खोल सकता है, तो फिर हम दोषी कैसे हुए। ज्ञात हो की डीपीएस बस हादसे के बाद पुलिस ने स्पीड गर्वनर लगाने वालो पर भी कार्रवाई की थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पचास वाहनों पर कार्रवाई

गुरुवार को डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देश पर यातायात एएसपी प्रदीप सिंह चौहान ने स्टाफ के साथ पूर्व और पश्चिम इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जिसमें स्कूली बस, आटोरिक्शा, वैन, मैजिक वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान सभी वाहनों का फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, प्रदूषण कार्ड आदि चेक किए। चेकिंग में 40 स्कूल बस, 3 वैन, 4 टाटा मैजिक, एक तूफान और एक बड़ी मैजिक गाड़ी कुल 50 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

वैन व रिक्शा चालक बेरोजगार ना हो- भाजपा

भाजपा अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि विगत दिनों सुरक्षा के सही इंतेजाम नहीं होने की वजह से एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें 4 नन्हे बच्चें सहित बस चालक की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। हादसें को ध्यान में रखकर प्रशासन के द्वारा सख्ती के साथ जो कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में भाजपा नगर अध्यक्ष श्री शर्मा ने भाजपा की ओर से प्रशासन से चर्चाकर कहा कि प्रशासन सर्वप्रथम बच्चों की सुरक्षा के मामले में पूर्णतः सतर्क होकर कार्य करें, स्कूलों में चलने वाली बसों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाये, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरार्वृत्ति ना हो। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, आगामी दिनों में बच्चों की परीक्षाएं आ रही है, इसका ध्यान रखते हुए कार्यवाही हो। इसी के साथ छोटी गाड़ियां वैन व रिक्शा चलाने वालों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े इसका भी प्रशासन पूर्ण ध्यान रखें। इन तीनों बातों पर प्रशासन गंभीरता से विचार करते हुए ही निर्णय लें। इन्हीं तीनों बातों को लेकर आपने प्रभारी मंत्री जयंत मलैया से चर्चाकर उन्हें भी पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों से भी इन तीनों बातों को लेकर चर्चा की। सभी जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन से उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिये कहा। आमजनों ने भी बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई व छोटे वाहन चलाने वाले बैरोजगार ना हो इस हेतु अध्यक्षजी से चर्चा की। इस मामले में कोई भी व्यक्ति, संस्था व समूह यदि मिलना चाहे तो शाम को 5 से लेकर शाम 7 बजे तक अध्यक्षजी से मिलकर अपनी बात कह सकते है।

बच्चों की सुरक्षा जरुरी

पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ जारी

इंदौर। भंवरकुआ इलाके में देशी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को क्राइम ब्रांच ने भंवरकुआ की सहायता से पकड़ा है। टीम को मिली सूचना के बाद करवाई की गई। युवक से पूछताछ की जा रही है। एएसपी क्राइम अमरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक युवक देशी पिस्टल लेकर एक अस्पताल के पास घूम रहा है। इस पर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में अपना नाम रवि निवासी छोटा बांगड़दा होना बताया। उसके पास से देशी पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई।

बी-फार्मा के छात्र ने लगाई फांसी

इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले बी फार्मा के 1 छात्रों में कल रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली बताया जाता है कि वह अपने भाई के साथ किराए से फ्लेट में रहता था। पुलिस के अनुसार 22 साल का रियाज पिता इरशाद मूल निवासी कटारिया जिला उज्जैन अपने भाई के साथ पिपल्याहाना इलाके में रैन बसेरा के पीछे स्थित एक मल्टी में किराए से रहकर पढ़ाई करता था वह राउ इस्थित निजी कॉलेज का भी फार्मा का छात्र था। परिवार के लोगों ने बताया कि रियाज को बुधवार की शाम को ही करीब 6:00 बजे छोड़कर वापस अपने गांव का गए थे इसके बाद उसने अपने भाई को किसी परिचित को देखने के लिए अस्पताल पहुंचा या और फिर कमरे में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। जब रात को उसका भाई वापस आया तो दरवाजा अंदर से बंद था किसी तरह जब दरवाजा तोड़ आ गया तो रियाज फांसी के फंदे पर लटका दिखा तत्काल उसे आसपास के लोगों की मदद से नीचे उतर गया लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी मामले में तिलक नगर पुलिस ने मर्द कायम क र जांच शुरू कर दी है।

मकान के लिए बहन के बेटे ने वृद्ध को पीटा

इंदौर। मकान खाली करने के लिए बहन के बेटे ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस पर वृद्ध ने पुलिस की शरण ली और केस दर्ज कराया। मल्हारगंज पुलिस ने बताया कि जीवनराम ठाकुर निवासी हेमू कॉलोनी को उसकी बहन के लड़के लक्की पिता भगवानदास ने मारपीट की और मकान खाली करने के लिए धमकाया।

मौत के बाद चक्काजाम का प्रयास...

15वीं वाहिनी वि.स. बल

इंदौर। सदर बाजार थाना क्षेत्र की ब्रह्मबाग कालोनी में रहने वाले अनुज पिता हेमंत जैन द्वारा फांसी लगाए जाने की घटना के बाद गुरुवार को मरीमाता चौराहे पर आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर चक्काजाम का प्रयास किया।

गर्भवती से ज्यादती करने वाला आरोपी पकड़ाया

जनसुनवाई में शिकायत के बाद कार्रवाई

इंदौर, 11 जनवरी (नप्र)। 9 माह की गर्भवती महिला से घर में घुसकर ज्यादती करने वाले आरोपी को बेटमा पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ महिला की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया है।

गत मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान गोद में बच्चा लिए मां के साथ आई बेटमा सागौर कुटी इलाके की एक महिला ने शिकायत की थी कि वह घर में अकेली थी तभी इलाके के रहने वाले गुड्डू ने घर में घुसकर उसके साथ गलत काम किया। महिला का आरोप था कि 18 अक्टूबर को उसका पति महाराष्ट्र में किसी काम से गया था 21 अक्टूबर की रात को वह घर में अकेली थी तभी आरोपी गुड्डू देर रात घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। महिला को लगा कि पति लौट आया है इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। मौके का फायदा उठा कर आरोपी अंदर घुसा और उसके साथ हरकत की। महिला ने बताया कि उस वक्त उसे 9 माह का गर्भ था। फिर भी आरोपी ने उसके साथ ज्यादती की और उसे डरा-धमका कर चला गया था। 23 अक्टूबर को पति के लौटने के बाद महिला ने घटना पति को बताई।

इसके बाद पति के साथ वह बेटमा थाने रिपोर्ट करने पहुंचे। यहां रिपोर्ट करने के दौरान थाने के एएसआई ने आरोपी को बुलाकर फटकार भी लगाई थी, लेकिन बाद में बिना कोई कार्रवाई की उसे छोड़ दिया था। महिला को प्रेग्नेंसी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बच्चा होने के बाद वह फिर अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर अफसरों से मिली थी, अफसरों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बेटमा टीआई को जांच के आदेश दिए थे।.

GORANI INDUSTRIES LIMITED
Plot No.32-33, Sector-F,
Sanwer Road, Industrial Area,
Indore - 452 015 (M.P.) India
Phone : 0731-2723201-3
Fax No. : 0731-2420681, 2723200
email : sanjay.gorani@gmail.com
anilgorani@yahoo.com
CIN: L28121MP1995PLC009170

NOTICE

NOTICE is hereby given in pursuance to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company Gorani Industries Limited will be held on Monday 05th February 2018, to consider, inter alia, the Unaudited Quarterly Financial Results of the company for the quarter ended on 31st December, 2017. A copy of the said notice and unaudited Quarterly financial results shall also be available on Company's website at www.goraniinsdustries.com and also on Stock exchange's website at www.bseindia.com.

For Gorani Industries Limited
Anil Gorani
(Holding DIN: 00055540)
(Whole-Time Director)
Place: Indore
Date: 10.01.2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/03/2017-18/अ-20 (4) प्रो.क्र.116 दिनांक 15.11.2016

विज्ञप्ति

एतद विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लेखित ग्राम/कस्बा की भूमि/भू-खण्ड/खण्डहर पर आवेदक ने निर्माण की संरचना किये जाने हेतु शासकीय नजूल भूमि का समावेश नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जावे मांग की गई है।

अनुसूची

नाम आवेदक भूखण्डधारी	ग्राम/कस्बा	लंबाई चौडाई	चतुरसीमा
हेतिबाई पति धनराज, जयन्ति लाल व घेवरमल पिता धनराज निवासीगण राजगढ़	ग्राम राजगढ़ भूमि सर्वे नंबर 538/1/1/1 रकबा 0.739 हेक्टर	रकबा 0.739 हेक्टर	उत्तर में- आदिनाथ श्वेताम्बर पेढी का भवन दक्षिण में- मोहनखेडा पेढी की भूमि व मकान पूर्व में- पूर्व में एस.बी.आई. बैंक का पुराना भवन पश्चिम में- सुभाष मार्ग

2- अत- उक्त प्रश्नाधिन भूमि/भवन/खण्डहर पर निर्माण किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह व्यक्ति अपनी लिखित आपत्ति मेरे न्यायालय में उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यालय दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। 3- यह विज्ञप्ति आज दिनांक 9.1.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित की गई।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

(जनकार्य विभाग)

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 117/सी.ई./बिल्स्/17-18/ई-टेण्डरिंग/जी-1 से जी-31

निविदा विज्ञप्ति

दिनांक: 08.01.2018

नगर पालिक निगम, इन्दौर निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन (ई-टेण्डरिंग) के माध्यम से दो लिफाफा पद्धति में निविदाएं आमंत्रित करता है।

ग्रुप क्र.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमान पत्रक रुपये	अर्नेस्ट मनी रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य व ठेकेदार की न्यूनतम श्रेणी	समया-वधि	लागू एस.ओ.आर. (दि. 24.11.2017 तक संशोधित)
1	14881	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 41 के अन्तर्गत सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण करना। (पार्षद निधि)	2,98,000/-	6,000/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
2	14882	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 के अन्तर्गत ग्रेटर ब्रजेश्वरी में म.नं. 325, 380, 350, 375 के सामने सड़क का सीमेंटीकरण करना। (पार्षद निधि)	4,01,300/-	8,100/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
3	14883	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 75 के अन्तर्गत समता नगर कुंए वाली तीनों गलियो में सीमेंट कांक्रीट करना।	5,86,100/-	11,800/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
15	14895	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 44 के अन्तर्गत प्रकाशचंद सेठी नगर सीताबाई सिसौदिया के मकान से दीपू कुशावह के मकान तक रोड के दोनों तरफ पेव्हर ब्लॉक लगाना। (पार्षद निधि)	7,75,903/-	15,600/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road, Bridge & Building SOR Dtd. 10.05.2012
16	14896	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 के अन्तर्गत कुसुम वाटिका म.नं. 2 के सामने व अन्य स्थानों पर पेव्हर ब्लॉक लगाना।	3,55,500/-	7,200/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road Bridge & Building SOR Dtd. 10.05.2012
17	14897	झोन क्र. 15 वार्ड क्र. 73 घनश्याम दास मे भेरुबाबा मंदिर के आसपास तथा वार्ड के अन्य स्थानों पर पेव्हर ब्लॉक लगाना।	5,40,716/-	10,900/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road Bridge & Building SOR Dtd. 10.05.2012
22	14902	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 38 के अन्तर्गत नाहरशाह नगर में गली नं. 1,2, व 3 में बैकलेन में हॉफ राउण्ड पाईप डालकर सीमेंट कांक्रीट करना।	8,25,844/-	16,600/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
27	14907	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 15 के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर गरबा पाण्डलों में एप्रोच पर मुरम चुरी डालना।	2,68,758/-	5,400/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
28	14908	झोन क्र. 18 वार्ड क्र. 53 के अन्तर्गत आजाद नगर गोल चौराहा से काली पुलिया मुस्लिम कब्रस्तान तक की रोड का डामरीकरण करना।	9,45,000/-	18,900/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Road & Bridge SOR Dtd. 10.05.2012
30	14910	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 44 कन्नू पटेल की चाल में स्थित व्यायामशाला के प्रथम तल पर टीन शेड का निर्माण करना।	4,07,767/-	8,200/-	2,000/- Appropriate Class	03 माह	MP UADD Building SOR Dtd. 10.05.2012

1. **निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय एवं डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक : 29.01.2018 (शाम 5:30 बजे तक)**
2. **निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 30.01.2018 (शाम 5:30 बजे तक)**
3. **निविदा की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 02.02.2018 (शाम 5:00 बजे तक)**
4. **निविदा खोलने की दिनांक : 03.02.2018 (प्रात: 10.30 बजे)**

टीप : विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, टेंडर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये **https://www.mpeproc.gov.in/** पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये नगर शिल्पज्ञ (सिविल) कार्यालय जनकार्य विभाग, न.पा.नि., इन्दौर से सम्पर्क करें।

प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ (सिविल)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

PART A